

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 350]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 21 जुलाई 2011—आषाढ 30, शक 1933

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 जुलाई 2011

क्र. एफ-1-9-2010-एक (1) 1506.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खंड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

#### संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची में,—

(क) शीर्षक “तेरह-ऊर्जा विभाग” के अधीन, भाग (अ) में, अनुक्रमांक 2 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टि स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“2. जल विद्युत् योजनाएं (25 मेगावॉट से अधिक).”

(ख) शीर्षक “साठ-नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग” के अधीन,—

(एक) भाग (अ) में, अनुक्रमांक 2 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टि स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“ 2. “जल विद्युत् योजनाएं (25 मेगावॉट तक)”

(दो) भाग (उ) में, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टि स्थापित की जाए, अर्थात् :—

“आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 21 जुलाई 2011

क्र. एफ-1-9-2010-एक-(1) 1507.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-1-9-2010-एक (1), दिनांक 21 जुलाई 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 21st July 2011

No. F. 1-09-2010-One-(I) 1506.—In exercise of the powers conferred by Clauses (2) and (3) of article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is Pleased to make the following further amendments in the Madhya Pradesh Government Business (Allocation) Rules, namely :—

#### AMENDMENT

In the said rules, in the Schedule,—

- (a) under the heading “XIII-Energy Department,” in Part (A), for serial number 2 and entry relating thereto, the following serial number and entry relating thereto shall be substituted, namely :—

“2. Hydro Electric Schemes (more than 25 megawatt).”

- (b) under the heading “LX-New and Renewable Energy Department.—

- (i) In Part (A), for Serial number 2 and entry relating thereto, the following serial number and entry relating thereto shall be substituted namely :—

“2. Hydro Electric Schemes (upto 25 megawatt)”

- (ii) in Part (E), the following serial number and entry relating thereto shall be substituted, namely.—

“Commissioner, New and Renewable Energy Department.”

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
B. R. VISHWAKARMA, Dy. Secy.